संख्या-14/2019-वे0आ0-1-980/दस-2019-8(एम)/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविघालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक, (बेसिक/माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 11 नवम्बर, 2019**

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-07-2019 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये शासनादेश संख्या-10/2019-वे0आ0-1-941/दस-2019-8(एम)/2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 के प्रस्तर-**4(क)** द्वारा निर्धारित व्यवस्था को निम्नवत संशोधित किया जाता है :-

प्रस्तर-4(क) की व्यवस्था	**प्रस्तर-4(क) की संशोधित एवं प्रतिस्थापित व्यवस्था**
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। अवशेष की शेष 90 प्रतिशत राशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी।	राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन0पी0एस0) से आच्छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक की अवशेष की राशि के 10 प्रतिशत के बराबर राशि अधिकारियों/कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में अधिकारियों/कर्मचारियों के अंशदान के रूप में जमा की जायेगी तथा अवशेष की राशि के 14 प्रतिशत के बराबर राशि राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा टियर-1 पेंशन खाते में राज्य सरकार/नियोक्ता के अंशदान के रूप में जमा की जायेगी। अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के अवशेष की 90 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी।

2- शासनादेश संख्या -09/ 2019 - वे0आ0 -1- 930/ दस- 2019 - 8 (एम)/2016, दिनांक

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

18 अक्टूबर, 2019 तथा शासनादेश संख्या-10/2019-वे0आ0-1-941/दस-2019-8(एम)/2016, दिनांक 19 अक्टूबर, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-14/2019-वे0आ0-1-980(1)/दस-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) समस्त मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग) कमरा नं0-261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय लखनऊ।
(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, प्रयागराज।
(8) रीजनल प्राविडेट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड, प्रयागराज।
(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियो सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी)।
(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(13) शिक्षा अनुभाग-3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 2, नगर विकास अनुभाग-1 तथा पंचायती राज अनुभाग-1, सावर्जनिक उदयम अनुभाग-1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)
(14) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)
(15) वित्त (ई-6), वित्त (सामान्य) अनु0-1 व 2, पुनर्गठन समन्वय अनुभाग, चिकित्सा अनु0-2, कृषि अनु0-8, पंचायती राज अनु0-3, आवास अनु0-2, नगर विकास अनु0-3
(16) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।
(17) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।